डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन

प्रवेश कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक
श्री गुरूनानक महिला महाविद्यालय
जबलपुर, म.प्र.

सारांश

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत है। डा. अम्बेडकर के विचार सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव एवं तटस्थ विश्लेषण पर आधारित है। डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनैतिक ढाँचा, धर्म एवं अर्थव्यवस्था आदि के बारे में जो कुछ भी कहा है वह वैज्ञानिक निरीक्षण एवं अनुभव के साथ कहा है न कि भावना या किसी पूर्वाग्रहवश। सामाजिक विषयों पर अम्बेडकर के विचार अत्याधिक यथार्थ एवं सटीक है। सत्य को स्वीकारने अथवा अभिव्यक्ति करने में डॉ. अम्बेडकर ने कभी भी दबाव महसूस नहीं किया। सांप्रदायिक उन्माद, पाकिस्तान की मांग, साम्यवाद, राजभाषा, अल्पसंख्यकों की समस्या, अछूतों की विमुक्ति, जाति का उच्छेद, हिन्दू समाज व्यवस्था आदि विषयों पर डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियाँ समीचीन है।

मुख्य शब्द : दलित, साम्प्रदायिकता, उन्माद, दूरदर्शी, ओजस्वी लेखक, अस्पृश्यता, जातिवाद, वर्णवाद, अलौकिक।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में प्राचीन काल से प्रचलित कथा जो पूर्व स्वातंत्रय युग के समय में देश के लिये एक समस्या का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी वह थी– जातिगत भेदभाव की भावना। इस काल में जाति प्रथा की कुरूपता अपने चरम सीमा पर थी निम्न वर्णों के लोगों को सवर्णो से दूरी बनाकर चलना पड़ता था। थसर्टन ने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है– ''अछूत को स्वर्ण से जितनी दूरी पर रहना चाहिये उससे कम दूरी पर रहने पर एक नायर महोदय ने 'कुरूमन' जाति के एक व्यक्ति को मार डाला था।'' यहाँ छूना या पास आना तो दूर, दिखाई तक न देने के नियमों का प्रचलन था। अस्पृश्यता ने स्वतंत्रता के पूर्व के समाज को पूरी तरह जकड़ लिया था और कुप्रथा की इस जंजीर से भारत को मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता थी। जिसके विरोध में एक सशक्त आवाज बुलंद करने का श्रेय डॉ. भीमराव अम्बेडकर को है।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के एक महान विचारक, चिंतक, दूरदर्शी, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होंने अस्पृश्यता के विरूद्ध एक उग्र आंदोलन प्रारंभ किया और दलितों के जीवन स्तर में सुधार का भरपूर प्रयास किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अथक परिश्रम से उच्च शिक्षा एवं डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के महान विद्वान थे एवं उन्हें भारत का प्रथम कानून मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। अपने एक लेख में कृपासागर ने लिखा है–''मानव–मानव में असमानता और सामाजिक एवं आर्थिक विषमता ने उनके मन में कड़वाहट भर दी थी। वे चाहते थे कि दलित वर्ग ऊपर उठे और इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। जो वर्ग सदियों से पिसता चला आया है वे उसे देश के दूसरे नागरिकों के समकक्ष लाना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि जो लोग इस वर्ग के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं उनमें सदबुद्धि आए।''

महाराष्ट्र के महार परिवार में 14 अप्रैल 1891 में जन्में डॉ. अंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता की वेदना झेलनी पड़ी, हाईस्कूल में भी उन्हें जाति व्यवस्था के परिणामस्वरूप निरंतर अपमानित होना पड़ा हाईस्कूल में उन्हें ब्लैक बोर्ड के पास नहीं जाने दिया जाता था तथा उनके खाने का डिब्बा भी उच्च जाति के विद्यार्थियों से अलग रखा जाता था। अपनी जाति के कारण ही डॉ. अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी गयी। जब युवा अम्बेडकर विदेश से लौटे तब भी वे इस पक्षपातपूर्ण रवैये के शिकार रहे। जब वे बड़ौदा के महाराजा के यहाँ नौकरी करते थे, तब वहाँ के कर्मचारी उनसे दूर रहते थे, कि कहीं उनके स्पर्श से वे अपवित्र न हो जाएँ। जब डॉ. अम्बेडकर के मकान मालिक को उनकी जाति के विषय में पता चला तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया था।

डॉ. अम्बेडकर और अस्पृश्यता

इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर ने कठिन परिश्रम और निरंतर संघर्ष करते हुए अपने लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया परन्तु वे इस कटु सत्य से भलीभाँति परिचित थे कि वे समाज में तब तक अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि अछूत समझे जाऐंगे। डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि अस्पृश्यता का मूल कारण हिन्दू धर्म का चतुर्वर्ण विभाजन है और जब तक इस व्यवस्था को दूर नहीं किया जाता सामाजिक समानता की कल्पना भी असंभव है। उन्होंने समाज में पिछड़े वर्ग को उसका समुचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास प्रारंभ किये उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। डॉ. अम्बेडकर एवं राजनैतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के प्रसार को आवश्यक मानते थे। सन् 1923 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हरिजनों का स्तर सवर्णो के बराबर करने के लिए एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया वे भारतभूमि से न केवल छुआछूत वरन् जातिवाद एवं वर्णभेद जैसी समस्याओं का भी अंत कर देना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने सन् 1927 में महार में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और इसके बाद चवदार तालाब में पानी पिया। यह वही तालाब था जहाँ हरिजनों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी, इसके बाद उन्होंने गुजरात के कालाराम मंदिर में प्रवेश निषेध के विरूद्ध आंदोलन किया। समय के साथ–साथ डॉ. अम्बेडकर के प्रहार भी तेज होते गए। उच्च वर्ग के लोगों के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर एक बड़े समर्थक समूह के साथ धर्म परिवर्तन करने का निश्चय किया किन्तु गाँधी जी ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता के बाद इस वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किये जायेंगें। जिसके बाद उन्होंने अपना यह इरादा बदल दिया।

डॉ. अम्बेडकर अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण हिन्दुओं की चतुर्वर्ण व्यवस्था को मानते थे अतः वे इस व्यवस्था को मूलतः समाप्त करने के पक्ष में थे वे इतिहासकारों के मत कि वर्णव्यवस्था का जन्म श्रम व्यवस्था के आधार पर हुआ है से सहमत नहीं थे उनका मानना था कि अगर ऐसा ही है तो अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है।

दलितों के लिए राजनीतिक संघर्ष

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया उनका मानना था कि जब तक देश स्वतंत्रत नहीं होगा पिछड़ी जातियों को समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। सन् 1930 के गोलमेज सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर को 'दलितों' के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में उन्होनें स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेज हरिजनों की स्थिति के सुधार में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं। दलित ब्रिटिश काल में भी सार्वजनिक जीवन में समानता एवं सेना तथा पुलिस सेवा में प्रवेश के द्वार बंद हैं, तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन न करें। डॉ. अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया और संघ निर्माण समिति का सदस्य बनाया, जिसे भारत के भावी संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने कहा कि दलित हिन्दु समाज का अभिन्न अंग है और वे नहीं चाहते कि दलित किसी भी रूप में समाज से अलग रहें। इसलिए उन्होने घोषणा की कि वे दलित वर्गो को विशेष प्रतिनिधित्व देने का विरोध करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर दलित वर्गो को अलग मताधिकार दिलाने पर दृढ़ थे। भारत लौटने पर जिस समय दलित वर्गो के लिए अलग मताधिकार की घोषणा की गई, उस समय महात्मा गाँधी पूना के निकट यरवदा जेल में कैद थे। इस घोषणा से व्यथित होकर गाँधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः यरवदा जेल में डॉ. अम्बेडकर एवं महात्मा गाँधी के बीच 24 सितम्बर 1932 ई. को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जो पूना समझौता कहलाता है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए अलग मताधिकार का प्रावधान समाप्त हो गया और इसके स्थान पर प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबलियों में 148 सीटें और सेंट्रल कौंसिल ऑफ स्टेटस में 18 प्रतिशत सीटें उनके लिये आरक्षित की गई।

संवैधानिक संघर्ष

डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को नया रूप प्रदान किया भेदभावपूर्ण नियमों के विरोध में खड़ा यह सिपाही संविधान निर्माता बना। उनके जीवन की यह सफलता संसार के अन्य क्रांतिकारियों से कहीं कम नहीं थी। संविधान निर्माण के समय डॉ. अम्बेडकर ने हरिजनों की स्थिति के सुधार के लिए अनेक प्रयास किये तथा प्रावधान दिए जिनमें से कई संविधान में स्वीकार किए गए। जिससे देश की अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग को आगे लाने तथा उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान कराने के प्रयास में सहायता प्राप्त हुई। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाये। जिसके लिए संविधान में कई प्रावधानों को पारित किया गया–

1. अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए तथा किसी भी रूप में इसका प्रचलन निषिद्ध किया जाए । (अनुच्छेद 17)
2. इन जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और उन्हें सभी प्रकार के शोषण एवं सामाजिक अन्याय से बचाया जाए। (अनुच्छेद 46)
3. हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार खोल दिए जाए। (अनुच्छेद 25)
4. भोजनालायों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं तालाबों, सड़कों, स्नान घाटों पर जाने की पाबंदी हटायी जाए। (अनुच्छेद 15)
5. अनुसूचितजाति एवं जनजाति के लोगों के लिए भारत में कहीं भी रहने, संपत्ति खरीदने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार प्रदान किया जाए। (अनुच्छेद 19.5)
6. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर कोई रूकावट न रखी जाए। (अनुच्छेद 29)
7. सरकारी नियुक्तियों में इनके हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है अतः अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर यह आवश्यक है कि उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखें जाए। (अनुच्छेद 16 तथा 335)

8. राज्य तथा विधान मंडलों में 20 वर्षो की अवधि तक उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुरक्षा दी जाए । (अनुच्छेद 330,332,334)
9. इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्य में सलाहकार एवं पृथक विभागों की स्थापना की जानी चाहिए। (अनुच्छेद 164,138, पाँचवी अनुसूची)
10. अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था की जाए। (अनुच्छेद 244, पाँचवीं, छठवीं अनुसूची)

संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु अस्पृश्यता को दूर करने एवं अस्पृश्यता निवारण कर इन जातियों को सामाजिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से 1 जून 1955 को अस्पृश्यता अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर किसी धार्मिक स्थल पर जाने से रोकना, सार्वजनिक भोजनालय, चिकित्सालय अथवा शिक्षालय में प्रवेश से वंचित करना दण्डनीय अपराध माना गया है। व्यापार, व्यवसाय में अयोग्य सिद्ध करना, धार्मिक अनुष्ठान से रोकना दण्डनीय अपराध माना गया है।

दलितवर्गीय जनता के लिये कार्य करने के साथ ही साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महिला एवं पुरूष वर्ग की समानता पर भी ध्यान आकृष्ट कराया और एक मसौदा तैयार किया, हिन्दू कोडबिल उनमें से एक था जिसे 1951 मे संसद में पेश किया गया जिसमें सम्पत्ति और विवाह के मामलों में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किए गए।

भारत में दलितों के उत्थान के लिए किए गये कार्यो में डॉ. भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने संपूर्ण जीवन दलितों के उत्थान का कार्य किया एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते रहे उनका यह प्रयास तब फलीभूत हुआ जब वे संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और उन्होनें अस्पृश्यता विरोधी प्रावधान संविधान के प्रारूप में प्रस्तावित किए एवं उन्हें अधिनियम के रूप में लागू कराया।

छुआछूत एवं डॉ. अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि हिन्दू समाज में छुआछूत की सामाजिक बुराई का आधार कुछ धर्मग्रंथ है। वो कैसे धार्मिक ग्रन्थ है जो मनुष्यों को पशुओं से भी गया बीता समझते हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने का प्रावधान करते हैं। उनका कहना था कि भारत में इस सामाजिक बुराई की जड़ ' मनुस्मृति' है। इसलिये अनेक अवसरों पर उनके नेतृत्व में मनुस्मृति की होली जलाई गई। डी.आर. ने डॉ. अम्बेडकर की जीवनी में लिखा है–'' सामाजिक व्यवस्था के विषय में उनका स्पष्ट मत था कि हिन्दू शास्त्रों ने मानव मात्र की इज्जत को गिराया है। इस बात को उन्होनें कई बार दोहराया। उनका कहना था कि जब तक स्मृतियों का राज समाप्त नहीं होगा, सामाजिक असमानता दूर नहीं की जा सकेगी। मनुस्मृति जलाने के अपने कार्य को उन्होने उचित ठहराया।''

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि हरिजनों के मन में एक विचित्र हीन भावना पैदा हो गई है। इसे समाप्त करना होगा । अपनी पुस्तक– ''शूद्र कौन थे ? में उन्होनें लिखा – ''अछूतों की सामाजिक स्थिति यह है कि वे अपनी हीन स्थिति के प्रति कभी शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा कि वे ऐसे प्रयत्न करें कि अन्य जातियों के साथ व्यवहार करने के लिए मजबूर करें जैसा एक इन्सान दूसरे से करता है।''

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह भावना समाप्त करनी होगी। दलितों को याचना करने और भीख मांगने से उसके अधिकार नहीं मिलेंगे। उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना होगा। संघर्ष करना होगा।

दलित उत्थान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर यह भी मानते थे कि भारत के दलितों की समस्या केवल एक सामाजिक समस्या नहीं हैं। मूलतः यह एक राजनीतिक समस्या है। इसीलिए इसका समाधान भी राजनीतिक होगा। जब तक दलितों को राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी, तब तक समाज में उन्हें समानता एवं आदर भी प्राप्त नहीं होगा। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था–''दलितों की सामाजिक समस्याएँ तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती।'' इसीलिए, डॉ. अम्बेडकर ने यह मांग की थी कि व्यवस्थापिका सभाओं में दलितों के लिए पृथक स्थान आरक्षित किए जाएँ । इसीलिए भारतीय संविधान में विभिन्न व्यवस्थापिकाओं में हरिजनों के लिए पृथक स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।

दलितों को परम्परागत दासता से मुक्ति दिलाना डॉ. अम्बेडकर के जीवन, चिंतन एवं कार्य का प्रधान लक्ष्य था, जिसे उन्होंन कभी नही छिपाया। दलितों की मुक्ति को डॉ. अम्बेडकर स्वराज्य के लिए किए जाने वाले संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक युग दृष्टा थे। किन्तु भारतीय समाज की पुनर्रचना संबंधी उनकी परिकल्पना स्वप्रवादी चिंतकों की भांति कल्पना पर आधारित नहीं थी। वे एक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होनें एक ऐसे सामाजिक प्रारूप की रचना की। जिसमें व्यक्ति एवं समूह को समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक गमनागमन की पूरी स्वतंत्रता हो, सभी को शिक्षा, आत्मविकास एवं रोजगार के समान अवसर हों, सभी को विचार अभिव्यक्ति एवं विश्वास की पूर्ण स्वतंत्रता हो।

निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि शास्त्रों के अलौकिक आधार के कारण भारत में समाज रचना के नियमों की प्रकृति ईश्वरीय थी, जिसके कारण भारतीय समाज में समयानुकूल परिवर्तन लाया जाना संभव नहीं हो सका। इसलिए सभ्य एवं समृद्ध होने पर भी भारतीय समाज समय की दौड़ में दुनिया के अन्य समाजों से पिछड़ गया। इसलिए उनका मानना था कि सामाजिक रचना के नियम लौकिक होने चाहिए जिससे कि समय के अनुसार समाज में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि सामाजिक असमानता न्यूनाधिक सभी समाजों में होती है। हिन्दू धर्मशास्त्रों के माध्यम से ईश्वरीय विधान निरूपित करते हुए शास्त्रकारों ने इसे स्थायी बना दिया। जिसके कारण समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रतापसिंह, आधुनिक भारत, रिसर्च पब्लिकेशन, दिल्ली 1987.
2. बसु, डी.डी., भारत का संविधान, प्रेटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर, 1994.
3. सिंह, प्रपात आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, 1988.
4. अहिर, डी.सी., गांधी और अम्बेडकर, अजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1969.
5. जादव, डी.आर., राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1989.
6. प्रसाद, एन., जाति व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1965.
7. मेरिल, चन्द्रा, सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज ऑफ बी.आर.अम्बेडकर, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 1967.
8. राम, जगजीवन, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1981.
9. सिंह, आर.जी., भारतीय दलितों की समस्याऐं एवं उनका समाधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1986.
10. सिंह, आर.जी. प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणायें, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 1990.
11. अम्बेडकर, बी.आर. शूद्रों की खोज, हिन्दी अनुवाद, बहुजन कल्याण प्रकाशन लखनऊ, 1979.
12. अम्बेडकर, बी.आर., भगवान बुद्ध और उनका धर्म, हिन्दी अनुवाद, कौशल्यायन, सिद्धार्थ प्रकाशन, बम्बई, 1979.
13. जिज्ञासु, चंद्रिका प्रसाद, संविधान निर्माण और साम्प्रदायिक समस्या, बहुजन कल्याण प्रकाशन, लखनऊ, 1980.
14. लोखण्डे, जी.एस. भीमराव जी अम्बेडकर; ए स्टडी इन शोशल डेमोक्रेसी, इन्टेकुवल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1977.
15. बाली, एल.आर., डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान, भीम पत्रिका प्रकाशन जालंधर, 1980.
16. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में जातिवाद एवं अन्य निबंध, हिन्दी अनुवाद, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1981.
17. कीर, धनंजय, डॉ. अम्बेडकर; लाइफ एण्ड मिशन्स, पापुलर प्रकाशन बाम्बे, 1981.
18. बर्वे, एस.जी., डॉ. बी.आर. अम्बेडकर; अ सिम्बल ऑफ सोशल रिवोल्ट, महाराष्ट्र इनफार्मेशन सेन्टर, 1967.
19. सहारे, एम.एल., डॉ. भीमराव अम्बेडकर; हिज लाइफ एण्ड मिशन, नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली, 1987.
20. अम्बेडकर, बी.आर., डा. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, (खण्ड 1), गवर्नमेण्ट ऑफ महाराष्ट्र पब्लिकेशन, बाम्बे, 197.